(9)

माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निगरानी – 3968/2018/सीधी/भू.रा. / निगरानी / 2018 जिला सीधी

कुँवर सिंह कुशवाह अभिभाषक

श्री कुँवर सिंह कुशवाह द्वारा आज दि. 29/6/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10-7-18 नियत।
29-6-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. शिवानंद सिंह
2. अभिनंदन सिंह
   पुत्रगण स्व. श्री शम्भू सिंह बघेल
   निवासी ग्राम डढिया तह. चुरहट जिला
   सीधी (म0प्र0)

—— आवेदक

बनाम

1. कुशल राज सिंह
2. त्रिशूलधर सिंह
3. चतुरानन सिंह
4. जितेन्द्र सिंह
5. धर्मेन्द्र सिंह उर्फ दीपक सिंह
   पुत्रगण स्व. श्री रंगनाथ सिंह
   निवासीगण ग्राम डढिया तह. चुरहट
   जिला सीधी (म0प्र0)

—— अनावेदगण

<u>निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश एस.डी.ओ. चुरहट सीधी के प्रकरण क. 006/अपील/2016–17 आदेश दिनांक 18.06.2018 को पारित</u>

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

यह कि, आवेदक/अनावेदक एक ही परिवार के सदस्यगण हैं इन लोगों के पुरखों ने परिवार में बैठकर आपसी हिस्साबांट कर बटवारा पूर्व में करा लिया था जिसमें सभी लोगों के हस्ताक्षर हैं । इनमें से एक पक्षकार शम्भू सिंह के पुत्रों के बीच में एक आपसी बटनबारा हेतु एक आवेदन पत्र दिनांक ~~08.10.2015~~ 10-2-14 को माननीय तहसीलदार महोदय तह. चुरहट के समक्ष पेश किया गया जिस पर माननीय तहसीलदार महोदय ने हल्का पटवारी को आदेशित किया कि बटवारा पुल्ली बनाकर प्रकरण में संलग्न करें । जिस पर पटवारी हल्का ने बटवारा पुल्ली कब्जा एवं पूर्व में हुये बटनवारे के आधार पर माननीय तहसीलदार

(कुँवर सिंह कुशवाह (एडवोकेट) 29/6/18)

क्रमशः––2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(3)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3968/2018/सीधी/भू.रा.

शिवानन्द विरूद्ध कुशलराज

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-06-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी चुरहट सीधी के प्रकरण क्रमांक 06/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 18-06-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 12-09-2019 को कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । **(महेन्द्र चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	